

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
आदेश

सं०सं०-10/न०प्र०नि०(न०प्र०)-01/2026 369 न०वि० एवं आ०वि०, पटना दिनांक- 31/01/26

CWJC No.- 20649/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 862, दिनांक- 12.0.2024 द्वारा 163 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने पर संविदा के आधार पर नियोजन किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि मो० कलीमुद्दीन अंसारी, नगर प्रबंधक, नगर परिषद, रोसड़ा के विरुद्ध कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रोसड़ा द्वारा निर्गत आदेश में असंतोषजनक कार्य किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है एवं नगर प्रबंधक के नियमित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

3. अतएव नगर परिषद, रोसड़ा के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-2287, दिनांक- 24.01.2026 द्वारा मो० कलीमुद्दीन अंसारी, नगर प्रबंधक, नगर परिषद, रोसड़ा का नियोजन समाप्त करने संबंधी आदेश विभागीय निर्णय के प्रतिकूल है और इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

4. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रोसड़ा को निदेश दिया जाता है कि मो० कलीमुद्दीन अंसारी, नगर प्रबंधक, नगर परिषद, रोसड़ा से नियोजन समाप्त करने की तिथि से ही पदस्थापित करते हुए पुर्व की भांति कार्य लेना सुनिश्चित करें।

5. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजेश्वर राज)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-10/न०प्र०नि० (न०प्र०)-03/2024 369 /न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक- 31/01/26


प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं सभी पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्री पंकज कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मो० कलीमुद्दीन अंसारी, नगर प्रबंधक, नगर परिषद, रोसड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।